फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/157

बअनवान रामाराम बनाम स्व0 फूलाराम के वरिश शांतिबाई वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17/3/25 न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी, बाली	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी के विद्वान् अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम रूघनाथपुरा में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 200/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के दादा व प्रतिवादी संख्या-01 के ससुर भुदा वल्द दल्ला के खातेदारी की भूमि रही है। स्व0 भुदा वल्द दल्ला के तीन पुत्र यथा बदाराम, टीमाराम व फुलाराम हुये। परन्तु भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत् खसरा नंबर 200/4 से बने हाल खसरा नंबर 398 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म बारानी दोयम को मिसल बंदोस्त संवत् 2037 से 2056 में फूला, भीमा पि. बुधा कौम मेणा के खातेदारी में दर्ज कर दिया, जबकि स्व0 बुधा के भीमा नाम का कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्र टीमा अवश्य था, जिनकी मृत्यु भी वर्ष 2005 में लाऔलाद हो चुकी है। इस प्रकार भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के पिता बदा का नाम दर्ज नहीं किया, तथा वादी स्वयं का जन्म भी दादा के जीवन काल में होने से वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा के हक अधिकार निहित हो गये थे। बहस में इसका आधार यह भी बताया कि वादी के भाई प्रभुराम की मृत्यु भी लाऔलाद होने से बदा के एक मात्र वारिश वादी होने से 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी है। वर्तमान रिकार्ड में 1/2 हिस्सा में (प्रभु पुत्र भीमा 1/4 व सका पुत्र भीमा 1/4 हिस्सा) छद्म नाम से दर्ज है। परन्तु इस नाम के कोई व्यक्ति नहीं होने से दुरस्ती के जरिये इनके स्थान पर 1/2 हिस्सा का खातेदार वादी को घोषित कर 1/2 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 की प्रति प्रदर्श-01, मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदश-2, मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रति प्रदर्श-03, जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 की प्रति प्रदर्श-04, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रति प्रदर्श-05, वादी के भाई प्रभूराम पुत्र बदा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श-6ए, नामान्तरकरण संख्या 369, 28 की प्रतिया प्रदर्श-7, 8, प्रभूराम पुत्र बदाराम के फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रदश-9ए, में दर्ज इन्द्राज का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह वादी p.w.-01 श्री रामाराम पुत्र बदाराम द्वारा दिये बयानो एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाव दावे में उल्लेखित तथ्यों का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात हैं कि वादी ने उक्त वाद के जरिये वादग्रस्त भूमि ग्राम रूघनाथपुरा के गत् खसरा नंबर 200/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से बने हाल खसरा नंबर 398 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज (प्रभु पुत्र भीमा 1/4 व सका पुत्र भीमा 1/4 हिस्सा) को अधिकार अभिलेखो से विलोपि कर दुरस्ती के जरिये 88 के तहत	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है, परन्तु वादी द्वारा अपने वाद में रिकार्ड में दर्ज इन सह खातेदार को पक्षकार ही नहीं बनाया। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त हैं कि रिकार्ड में दर्ज किसी खातेदार को बिना सुरे उनका नाम रिकार्ड से विलोपित नहीं किया जा सकता। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज (प्रभु पुत्र भीमा 1/4 व सका पुत्र भीमा 1/4 हिस्सा) को वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाने से रिकार्ड में दर्ज इन खातेदार को श्रवण किये बिना किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं हैं। अतः वादी द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के गत् खसरा नंबर 200/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से बने हाल खसरा नंबर 398 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

रामाराम पुत्र बदाराम जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. फुलाराम पुत्र भूदाजी उर्फ बुधाजी के कामु वारिसान–
   1/1. शांति बाई पत्नी फुलारामजी
   1/2. मीरा कुमारी पुत्री फुलारामजी जातिगण मीणा निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील बाली
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/1157

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के गत खसरा नंबर 200/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम से बने हाल खसरा नंबर 398 रकबा 1.42 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बराब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/3/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner